सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| श्रावण 03, गुरूवार, *शाके 1946*-जुलाई 25, *2024* | |
| *Sravana 03, Thursday, Saka 1946- July 25, 2024* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**वन विभाग (क)**

विज्ञप्ति

**जयपुर, जून 07, 2024**

**संख्या प. 2(27)वन/2024 :-** चुकिं निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चुकिं पूर्वोवत भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है।

और चुकिं सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चुंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11(1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

मोनाली सेन,

**विशिष्ठ शासन सचिव,वन।**

**प्रथम अनुसूची**

| क्र. सं. | नाम ब्लॉक | नाम तहसील | नाम जिला | सीमा | | | नाम ग्राम | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दिशा | भूमि | | | खसरा नं0 | क्षैत्रफल (बीघा में) | क्षैत्रफल (हे0 में) |
| 1 | चमलासा | खानपुर | झालावाड़ | पूर्व | निजी काश्त भूमि | 160, 158 | चमलासा | 252 | 34 बीघा 18 बिस्वा | 5.6494 |
| | | | | पश्चिम | वनभूमि वनखण्ड रायपुर बालगड | 253 | | 254 | 33 बीघा 12 बिस्वा | 5.6494 |
| | | | | उत्तर | निजी काश्त भूमि | 246 250 | | 255 | 49 बीघा 15 बिस्वा | 5.6494 |
| | | | | दक्षिण | वनभूमि वनखण्ड रायपुर बालगड | 257 | | 256 | 43 बीघा 13 बिस्वा | 5.6494 |
| **योग** | | | | | | | | | **161-18** | **26.1993** |

**हस्ताक्षर**

**मुकेश कुमार सुमन,**
**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**खानपुर।**

**हस्ताक्षर**

**सागर पवार IFS,**
**उप वन संरक्षक,**
**झालावाड़।**

**द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड चमलासा**

**पेडो की सूची**

| क्र.स. | वानस्पतिक नाम | हिन्दी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | Acacia nilotica | देशी बबूल |
| 2 | Prosopis juliflora | विलायती बबूल |
| 3 | Ziziphus muaritiana | झाड़ी बेर |
| 4 | Balanities aegyptiaca | हिगोंट |
| 5 | Acacia leucophloea | रोंझ |
| 6 | Dalbergia sissoo | शीशम |
| 7 | Holoptelia integrifolia | चुरेल |

**हस्ताक्षर**

**मुकेश कुमार सुमन,**
**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**खानपुर।**

**हस्ताक्षर**

**सागर पवार IFS,**
**उप वन संरक्षक,**
**झालावाड़।**

**उप वन संरक्षक, झालावाड़**

**प्रमाण पत्र**

जिलाः- झालावाड़
तहसीलः- खानपुर
रेंजः- खानपुर
वनखण्डः- चमलासा
ग्रामः- चमलासा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिसे विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा 26.1993 है० भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करवा दिया गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा हैं इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 हैं
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी व नदी नाले की सीमा है। तथा सीमा का उल्लेख एंव खसरा नं० व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड में से खसरा नं. 255/294 व 256/299 स्थित है जो कि रा०प्रा०वि० के नाम दर्ज है। जिस पर वन विभाग का कोई स्वामित्व नही है।
6. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं० व रकबा दर्ज है।
7. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उपरोक्त वनखण्ड परवन मध्यम सिंचाई परियोजना में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।

**हस्ताक्षर**

**मुकेश कुमार सुमन,**
**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**खानपुर।**

**हस्ताक्षर**

**सागर पवार IFS,**
**उप वन संरक्षक,**
**झालावाड़।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**